न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2020 / 19 दर्ज दिनांक : 12.02.2020

1. गिरधारीलाल पुत्र स्व. बृजलाल जाति माली निवासी चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू।
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग चूरू–

: निर्णय :

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:– अभिषेक टावरी
प्रतिवादी :– बजरंगलाल शर्मा प्रतिवादी संख्या 01
पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 02

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
धारा 88 आर.टी.ए.

वादी की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि कृषि भूमि खसरा नं. 269 तादादी 105 बीघा 15 बिस्वा वाके रोही कस्बा चूरू में से 17 बीघा भूमि स्थित है। इस भूमि में वादी अपने पिता के समय से रिहायशी ढाणी बनाकर रहता है। ढाणी में एक पक्की रसोई व एक रसोई, पशुशाला का गड्ढा व दो पीने के पानी की कुंड भी बना रखी है, जिसके पैमाइश के बाद अलग खसरा नम्बर 1710 / 269 मीण तादादी 17 बीघा है, जो राजस्व रिकॉर्ड में बीड़ दर्ज है। व शेष कृषि भूमि के खसरा नं. 1711 / 269 तादादी 88 बीघा 15 बिस्वा बने हैं, जो वन विभाग के नाम खातेदारी में दर्ज हैं।
2. यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 269 मीण तादादी 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि, जिसमें वर्तमान में खसरा नं. 1710 / 269 है, की भूमि वादी अपने पिता स्व. बुगलाल के जमाने से सन 1958 ई. से लगातार काश्तकार व काबिज होकर रखे हुए हैं। यह भूमि पहले सेट नगर पालिका बांगला की खातेदारी में थी एवं तब से ही वादी कृषि भूमि स्व. बुगलाल व वादी काश्त करते हैं। इस हेतु माननीय जिला कलेक्टर महोदय चूरू द्वारा आदेश सं. 218 / 72 क्रमांक दिनांक 23.08.1973 में निर्णय पारित किया हुआ है, जो आज तक कायम है।
3. यह कि उपरोक्त कृषि भूमि बाबत जिला कलेक्टर महोदय चूरू द्वारा दिनांक 23.08.1973 व तहसीलदार महोदय चूरू द्वारा दिनांक 31.10.1983 को आदेश पारित किये जाकर श्री पन्नालाल के नाम खसरा नं. 269 की 17 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि नियमानुसार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये, जो आदेश आज तक कायम हैं।
4. यह कि उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 269 मी[illegible] खसरा नं. 1710 / 269 तादादी 17 बीघा वाके रोही कस्बा चूरू में [illegible] सन 1958 से पहले से स्व. बुगलाल व वादीगण काश्त करते [illegible] सरकारी नहीं होकर सेट नगर पालिका बांगला की खातेदारी में अंकित थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि उपरोक्त कृषि भूमि गत खसरा नं. 269 पहले सेट मदन गोपाल बांगला की खातेदारी में थी, जो संवत 2012 के पहले से वादी के पिता स्व. बुगलाल काश्त करते थे व सन 1968–1969 में भी इस कृषि भूमि को बतौर काश्तकार वादी के पिता ही काश्त करते थे। इस प्रकार वादी नियमानुसार इस कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने इस कृषि भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज न करके गलत रूप से वन विभाग के नाम अंकित कर दिया है, जो राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक है, क्योंकि भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज करवाये जाने का वादी को पूर्ण अधिकार है।

6. यह कि कृषि भूमि खसरा नं. 1710 / 269 तादादी 17 बीघा वाके रोही कस्बा चूरू राज्य सरकार द्वारा कभी भी वन विभाग को आवंटित नहीं की गई, बल्कि यह कृषि भूमि शुरू से ही पहले सेट मदन गोपाल बांगला के बीड़ के नाम खातेदारी में दर्ज थी व बाद में गैर मुमकिन बीड़ के नाम से दर्ज हुई। खसरा नं. 269 की 88 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि ही वन विभाग को आवंटित हुई थी, जिसका नामान्तरण सं. 317 वन विभाग के नाम दर्ज हुआ व इसी नामान्तरण सं. 317 में खसरा नं. 269 में तादादी 17 बीघा, जिसके वर्तमान खसरा नं. 1710 / 269 है, गैर मुमकिन बीड़ में रखना गलत था, जिसे बाद में वन विभाग द्वारा निरस्त किया गया था।

7. यह कि नियमानुसार बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खसरा नं. 269 में तादादी 17 बीघा, जिसके वर्तमान खसरा नं. 1710 / 269 है, को नामान्तरण सं. 1685 के द्वारा आदेश जारी कर दावे से गलत रूप से वन विभाग के नाम दर्ज किया गया है, जो पूर्णतया अवैधानिक है। इस प्रकार नामान्तरण सं. 1685 दिनांक 19.06.2006 बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज किया गया है, जो अवैधानिक होने से निरस्तयोग्य व शून्य है। इसके नामान्तरण के विरुद्ध अपील सक्षम न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के न्यायालय में विचाराधीन है।

8. यह कि राजस्व रिकॉर्ड के गलत अंकन को लेकर प्रतिवादीगण नम्बर 2 द्वारा वादी को इस भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने का वादी को अधिकार है। वादी को बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता।जी, आपकी भेजी गई इस पेज (पृष्ठ–3) की सामग्री को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़कर ज्यों–का–त्यों शुद्ध हिंदी में टाइप कर के कॉपी नीचे तैयार कर दी है कर्मचारियों के साथ मौके पर आकर वादी की कृषि भूमि की बाड़ उखाड़ कर जबरन बेदखल करने की धमकी दी है।

9. यह कि वादी कानूनन इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुका है, लेकिन प्रतिवादी राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती नहीं कर रहे हैं तथा वादी को जबरन बिना सुनवाई का अवसर दिये चोरी–छिपे तौर पर ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने कर्मचारियों को साथ लेकर दिनांक 7.2.2020 को दोपहर में वादी के कब्जे व काश्त शुदा भूमि पर आये व वादी की कृषि भूमि के चारों तरफ लगी बाड़ को जबरन उखाड़ने की धमकियां देने लगे। इस प्रकार यदि प्रतिवादी को दो माह का नोटिस दिया जाता है तो प्रतिवादीगण इस अवधि में वादी को जबरन कृषि भूमि से बेदखल कर देंगे। इसलिए प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) दी. प्र. सं. के अन्तर्गत न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर यह दावा पेश किया जा रहा है।

10. यह कि कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिका[illegible] है व प्रतिवादी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के निवासी हैं, इसलिए [illegible]। व दावा अन्तर्गत नियत एवं उचित कोर्ट–फीस पर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा स्वीकार फरमाया जाकर नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नं. 1710 / 269 तादादी 12 बीघा 15 बिस्वा वाके रोही कस्बा चूरू के वादी खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकित किया जावे।

(ख) चिर निषेधाज्ञा प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की जारी की जावे कि कृषि भूमि खसरा नं. 1710 / 269 तादादी 12 बीघा 15 बिस्वा वाके रोही चूरू से वादी को प्रतिवादी जबरदस्ती बेदखल नहीं करें, ना वादी के कब्जा उपयोग व उपभोग में बाधा डालें।

(ग) अन्य अनुतोष जो विचार कर वादी हो तो भी दिलवाया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता बजरंगलाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि मद संख्या 1 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। वादग्रस्त भूमि में वादी का कब्जा बतौर अतिक्रमी चला आया है, जिसके बाबत समय–समय पर तहसीलदार चूरू द्वारा वादी के अतिक्रमी होने बाबत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही वादी के खिलाफ की गई है। वादग्रस्त भूमि के मौजूदा खसरा नम्बर 1710 / 269 रकबा 4.2958 हेक्टेयर गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है।
2. यह कि मद संख्या 2 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद के सभी तथ्य वादी को स्वयं साबित करने हैं। इस मद के तथ्य वादी ने अपने दावा को गलत रूप से रंग देने की गर्ज से बढ़ा–चढ़ाकर दर्ज करवाये हैं। यह कृषि भूमि वर्तमान में गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है।
3. यह कि मद संख्या 3 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। जो नियमन इस मद में वादी ने तहसीलदार महोदय चूरू द्वारा पारित किया गया होने का कथन अंकित किया है, उसके अनुसरण में वादी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उक्त आदेश के क्रम में नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि आज भी गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है।
4. यह कि मद संख्या 4 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद में अंकित सभी तथ्य वादी द्वारा स्वयं साबित किये जाने हैं। वादग्रस्त भूमि मौजूदा समय में गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है।
5. यह कि मद संख्या 5 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। वादग्रस्त भूमि सही रूप से वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। जो राजस्व रिकॉर्ड किसी भी रूप में दुरुस्त किये जाने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि का रकबा मौजूदा समय में 4.2998 हेक्टेयर दर्ज है।
6. यह कि मद संख्या 6 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि सही रूप से वन विभाग चूरू के नाम दर्ज की गई है। जो नामान्तरण संख्या 1685 दिनांक 19.06.2006 वादग्रस्त भूमि बाबत दर्ज किया गया है। वह सही रूप से दर्ज किया गया है। वादी ... अतिक्रमी काबिज चला आया है। नामान्तरण संख्या 1685 किसी भी रूप में ... अथवा शून्य नहीं है। इस नामान्तरण के खिलाफ जो अपील ... लम्बित थी उसका निस्तारण किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु ... जिला कलेक्टर चूरू को रिमाण्ड किया जा चुका है। वादी वादग्रस्त भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि मद संख्या 7 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरण संख्या 1685 सही रूप से दर्ज किया गया है। वादी वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज चला आया है। अतिक्रमी को विधिक प्रावधानों के तहत बेदखल करने हेतु समय–समय पर कार्यवाही तहसीलदार चूरू द्वारा की जाती रही है। वादी किसी भी प्रकार प्रतिवादी के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
8. यह कि मद संख्या 8 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद के सभी तथ्य वादी ने अत्यधिक बढ़ा–चढ़ाकर अपने दावा को गलत रंग देने की गर्ज से दर्ज करवाये हैं। इस मद के सभी तथ्य वादी को स्वयं साबित करने हैं। एक अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक व अधिकार कानूनन हासिल नहीं होता है।
9. यह कि मद संख्या 9 अर्ज़ी दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद के सभी तथ्य वादी ने गलत व मिथ्या दर्ज करवाये हैं। वादी को प्रतिवादी के खिलाफ कोई वाद कारण अथवा वाद आधार हासिल नहीं है। धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत विधिक नोटिस दिये बिना प्रस्तुत हस्तगत वाद किसी भी रूप में पोषणीय नहीं है।
10. यह कि मद संख्या 10 वाद पत्र में लिखे कथन विधिक हैं, जिन्हें विधि अनुसार निर्गत किया जाना है। जिसके जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।
11. यह कि अनुतोष की बिना नम्बरिंग मद की उप–मद क, ख, ग के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। वादी इस वाद पत्र के माध्यम से प्रतिवादी उत्तरदाता के खिलाफ कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

विशेष कथन

12. यह कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरण संख्या 1685 सही रूप से वन विभाग चूरू के नाम दर्ज किया गया है, जिसे हस्तगत वाद के माध्यम से किसी भी रूप में निरस्त नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी उत्तरदाता की भूमि है।
13. यह कि वादी की हैसियत वादग्रस्त भूमि पर मात्र एक अतिक्रमी की है, जिसके कारण वादी का यह वाद किसी भी रूप में कानूनी चलने योग्य नहीं है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। वादी का वाद पत्र हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।
14. यह कि धारा 80 सी.पी.सी. के तहत बिना विधिक सूचना पत्र दिये हस्तगत वाद किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। वादी का वाद पत्र विधि वर्जित होने से प्रारम्भतः खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि

1. मद संख्या 01 का सम्बन्ध वादी से है। मद सं. 01 को प्रमाणित करने का दायित्व वादी का है।
2. यह है कि मद सं. 02 [illegible] अतिक्रमी के रूप में काश्त की है।
3. मद सं. 03 अस्वीकार है क्योंकि वादगत [illegible] गै. मु. बीड़ दर्ज है।
4. मद सं. 04 को प्रमाणित [illegible] भूमि गै. मुमकिन बीड़ दर्ज है।
5. मद सं. 05 अस्वीकार है [illegible] दार काश्तकार नहीं है तथा न ही यह भूमि कृषि भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

6. मद सं. 06 अस्वीकार है। वादी ने वादगत भूमि को कृषि भूमि होना गलत बताया है।
7. मद संख्या 07, 08 व 10 का संबंध अदालतवाला से है।
8. मद संख्या 09 कानून है।

अधिवक्ता प्रविादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किये जाने पर तनकी कायम की गई जो इस प्रकार है।

1. आया वादी कृषि भूमि खसरा संख्या 1710/269, तादादी 12 बीघा 15 बिस्वा, रोही चूरू का खातेदार घोषित किये जाने योग्य है एवं इसी अनुसार इस कृषि भूमि बाबत राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकित किये जाने योग्य है।

– जिम्मे वादी –

2. आया वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की चिर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1710/269, तादादी 12 बीघा 15 बिस्वा, रोही चूरू से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल न करें, ना ही वादी के कब्जा, उपयोग व उपभोग में बाधा डालें।

–जिम्मे वादी –

3. आया वादी की हैसियत वादग्रस्त भूमि पर एक अतिक्रमी की है, जिस कारण वादी का वाद खारिज योग्य है।

– जिम्मे प्रतिवादी –

4. आया धारा 80 सी.पी.सी. के तहत विधिक सूचना पत्र दिये बिना यह वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है।

– जिम्मे प्रतिवादी –

5. अन्य अनुतोष

विवादकों की व्याख्या की गई। पक्षकारों द्वारा अन्य कोई विवादक अथवा संशोधन नहीं सुझाये गये। जिस पर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई वादी की ओर से वादी की ओर से गवाह प्रस्तुत किये गये। वादी की ओर से गिरधारी लाल ने पीडब्ल्यू–1, मोहम्मद सदीक ने पीडब्ल्यू–2, मुबारिक हुसैन ने पीब्ल्यू–3 पेश किये। गिरधारीलाल की ओर बयान प्रस्तुत कर दस्तावेजात प्रदर्शित किये गये। प्रकरण संख्या 218/72 जिनमें माननी जिलाधीश महोदय की फर्द अहकाम प्रदर्श–1, प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.08.1973 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, कलक्टर महोदय के समक्ष चले प्रकरण संख्या 39/73 के फर्द अहकाम की प्रति प्रदर्श–3, व आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, माननीय न्यायाल में पूर्व में चले प्रकरण संख्या 28/95 के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5, व इसमें पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6 है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2002 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7 व निर्णय दिनांक 19.12.2008 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8, वादगत कृषि भूमि संबंधित जमाबंदिया की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 9 से 12 ह। इस कृषि भूमि के नामान्तरण संख्या 1685 की प्रमाणित प्रति मय पुस्त प्रदश–13 है। सेटलमेन्ट विभाग के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–14 व मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–15 है वादगत कृषि भूमि की गिरदावरी की प्रमणित प्रदि प्रदर्श–16 है। वादगत कृषि बाबत् तहसीलदार चूरू द्वारा पारति आदेश दिनांक 13.10.1988 की प्रति प्रदर्श –17 ए है। वादी को तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस प्रदर्श 19 ए से 28 ए है। वादगत भूमि बाबत जमा रसीदात प्रदर्श– 29ए से 38 ए है। मौका रिपोर्ट प्रदर्श 39 व नक्शा मौका प्रदर्श–40 वन विभाग द्वारा जारी पत्रांक 222 दिनांक 01.06.2006 की प्रति प्रदश–41 है इस के आधार पर तहसीलदार चूरू के पत्र क्रमांक 06 दिनांक 02.06.20[illegible] जो प्रदर्शित नहीं की गई है। जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02, 01 द्वारा की [illegible]
वन विभाग की ओर से डीडब्ल्यू–[illegible] विभाग चूरू , डीडब्ल्यू–2 दीपचन्द यादव क्षेत्रिय वन अधिकारी वन [illegible]या।
जिरह द्वारा अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

यह कहना सही है कि यह कहना सही है कि वादी को समय–समय पर तहसीलदार चूरू द्वारा गिरधारीलाल व उसके पिता को कब्जे के संबंध में नोटिस दिए जाते रहे है। मुझे इस स्थिति की जानकारी नहीं है कि गिरधारीलाल व उसके पिता को वादगत स्थल से कभी बेकब्जा किया गया हो अथवा नहीं। मुझे जानकारी नहीं कि वादगत सम्पति किसी सरकारी अथवा न्यायालय आदेश से वन विभाग के नाम दर्ज हुई है। मुझे जानकारी नहीं है कि पूर्व में वादगत भूमि क्षेत्रिय वन अधिकारी मदनगोपाल बागला की रही है। यह कहना गलत है कि वादगत भूमि वी गिरधारीलाल के नियमन योग्य है। यह कहना गलत है कि मुझे वादगत सम्पति के पुराने रिकॉर्ड की जानकारी न हो। प्रदर्श–41 बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं है।

तहसीलदार चूरू को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी इनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गईं अधिवकता उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि गलत तरीके से वन विभाग के दर्ज हो गई है। प्रदर्श 91 में बार–बार नोटिस दिए गये जिससे यदि सरकारी भूमि है तो नोटिस नहीं दिए जा सकते, माननीय जिलाधीश महोदय का निर्णय दिनांक 23.08.1973 में अपील मंजूर की जाकर हुक्म दिया गया जैर अपील मंसुख किया गया। और साथ ही साथ यह भी आज्ञा दी जाती है तो सिलिंग में क्यों नहीं ली गई। तुरन्त इस बारे में कार्यवाही की जाय। अगर यह इन्दाज गलत बताया जा रहा है तो इस बाबत भी कार्यवाही की जाय। जिलाधीश महोदय का नजराना संख्या 39 / 73 में तहीलदार चूरू की रिव्यु प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है।

वादगत कृषि भूमि पर हमारा कब्जा बतौर अतिक्रमी चला आ रहा है। उक्त भूमि लम्बे समय से सेठों की थी जिस पर हम काश्त कर रहे हैं हमें जानकारी नहीं है कि उक्त भूमि बीहड़ के ना दर्ज है। मेरे पिताजी व मेरे नाम से धारा 91 भू– राजस्व अधिनियम के नोटिस तहसीलदार चूरू द्वारा समय–समय पर जारी किये हुए रहे ह। हमारे प्रदर्श–17 के अनुसरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादगत कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1710 / 269 है जिनका रकबा 4.2958 हैक्टेयर है जो गैर मुमकिन बीहड़ के नाम दर्ज है। आज भी भूमि गैंर मुमकिन बीहड़ के नाम से दर्ज है। यह कहना गलत है कि वादगत भूमि सही रूप से बीहड़ के नाम से दर्ज की गई है। यह कहना भी गलत है कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड किसी भी रूप में दुरूस्त किये जाने योग्य नहीं है। नामान्तरण संख्या 1685 दिनांक 19.06.2006 गलत दर्ज किया गया है।जरिये नोटिस धारा 91 भू राजस्व अधिनियम हमारे उपत तावान लगाया गया थ जिसकी रसीदात मैंने पेश की है। यह कहना गलत है कि मेरी हैसियत वादगत भूमि पर एक अतिक्रमी की हो। तहसीलदार चूरू की ओर से मुझे वादगत भूमि से बार–बार बेदखल किया गया है फिर स्वतः कहा कि पिछले 50 वर्षों से वादगत भूमि पर काबिज चला आ रहा हूँ। यह कहना सही है कि वादगत भूमि कि प्रदर्श–13 नामान्तरण 17 बीघा भूमि बाबत् दर्ज किया गया है। नामान्तरण प्रदर्श 13 नामन्तरण आदेश सक्षम आदेश कि बिना void ab initio है। कथन करते हुए दावा अंकित तथ्यों को दोहराया तथा दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 की ओर से निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के खिलाफ धारा 80 सीपीसी का नोटिस जारी नहीं किया गया। नामान्तरण संख्या 1685 की नामान्तरण की अपील पेडिंग है। कथन करते हुए जवाब दावा अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से बहस में 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिये जाने व वादगत कृषि भूमि धारा 16 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम प्रतिबंधित श्रेणी में आने का कथन [illegible] अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी जाकर [illegible] अवलोकन किया गया तथा बहस पर गौर किया गया। दस्तावेज प्रदर्श–17 [illegible] 2025 नम्बर मुकदमा 52 / 1988 अनुवानी राजस्थान सरकार बना[illegible] को वन विभाग के दर्ज किये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश प्रदान किया गया है। तहसीलदार चूरू के आदेश के पत्रांक 222 दिनांक 01.06.2006 के अनुसार खसरा नम्बर 269 तादादी मी 1711 / 269 की अमलरामद में से शेष वन भूमि का निर्णयानुसार वन विभाग के नाम अमलदरामद करवाकर स्वीकृत नामान्तरण की प्रति न्यायालय में पेश करें। प्रदर्श– 19 ए से 28 ए तक बेदखली का नोटिस वादी को जारी किये गये है। प्रदर्श–1 नं मुकदमा 218 / 72 निर्णय दिनांक 13.08.1973 अनुवानी बृजलाल पुत्र श्री घीसाराम में तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 06.12.1972 के विरूद्ध अपील को स्वीकार किया जाकर इतने बड़े रकबे का जमीन से मदनगोपाल बागला के पास है तो सीलिंग में क्यों नहीं ली गई। तुरन्त इस बारे में कार्यवाही की जाये अगर यह इन्द्रज गलत बताया जाता है तो इस बाबत भी कार्यवाही की जावे। प्रदर्श–4 में श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा तहसीलदार चूरू की रिव्यु अपील को खारिज किया गया कि अभी खाते में खातेदारी दर्ज नहीं हुई जमब खाते में अमल हो जाये और यह सरकारी बाड हो तो तहसीलदार कार्यवाही कर सकते है अन्यथा नहीं अभी तक कोई खाते में अमल दरामद नहीं हुई है जैसा कि रिकॉर्ड से प्रकट है। इसलिए दरख्वास्त रिव्यु खारिज की जाती है। प्रदर्श –6 में अतरिक्त जिला कलक्टर महोदय का प्रा. पत्र संख्या 02 / 1995 निर्णय दिनांक 31.08.1995 में वाद के निर्णय तक खसरा नम्बर 269 की 12 बीघा 15 बिश्वा भूमि से वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे। प्रदर्श–7 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की निगरानी / टी.ए. / 113 / 97 / चूरू उप वन संरक्षक, वन विभाग, चूरू के निर्णय दिनांक 10.12.2002 के अनुसार में वन विभाग की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, चूरू आर. ए.ए. बीकानेर के निर्णय को खारिज किया गया व निगरानी स्वीकार की गई है। जमाबंदी संवत् 2018–2019 अराजी गैर मकबूजा बीड़ आथूणा सेठ मदन गोपाल बागला अंकित है। प्रदर्श–10 जमाबंदी संवत् 2048 में खेवट खतोनी संख्या 566 नयी व 515 पूरानी रोही कस्बा चूरू में राजस्थान सरकार वन विभाग अंकित है। प्रदर्श –11 जमाबंदी संवत् 2047 खसरा संख्या 269 की भूमि 63 बीघा 12 बिश्वा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को आवासीय कॉलोनी निमर्माण के लिए आवंटित की गई है। प्रदर्श–12 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 132 के.वी. ग्रिड एवं स्टेशन के नामान्तरण हुई हैं प्रदर्श–13 नामान्तरण संख्या 1685 में खसरा संख्या 1710 / 269 में 17 बीघा भूमि तहसीलदार चूरू के आदेश क्रमांक राजस्व / 06 दिनांक 02.06.2006 व क्षेत्रीय वन अधिकारी चूरू के आदेश क्रमांक 22 दिनांक 01.06.2006 की अनुपालना में भूमि गैर मुमकिन बीड़ से गैर मुमकिन वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। प्रदर्श–14 मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 269 खसरा नम्बर 792 से निर्मित हुआ है व गैर मुमकिन वन भूमि दर्ज है व खातेदार वन विभाग राजस्थान सरकार बीड आथुणा सेठ मदन गोपाल बागला दर्ज है। प्रदर्श–11 गिरदावारी खेत खसरा संख्या 269 संवत् 2031 से 2034 में गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है। प्रदर्श–18 जमाबंदी में प्रदर्श–7 में निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय है कि इस प्रकरण में आवेदक / प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों (तहसीलदार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं राजस्व अपीलीय अधिकारी) के आदेशों को चुनौती देते हुए राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई। विवाद कृषि भूमि खसरा संख्या 269 एवं उससे संबंधित नए खसरा नंबर 1711 / 269 व 1710 / 269 से संबंधित था, जिसे वन विभाग के नाम दर्ज किया गया था। राजस्व मण्डल ने अभिलेखों के अवलोकन से पाया कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में गंभीर विधिक त्रुटियाँ एवं तथ्यात्मक कमियाँ हैं। अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के मूल विवाद, रिकॉर्ड स्थिति तथा अधिकारिता के प्रश्नों पर समुचित एवं विधि–सम्मत विचार नहीं किया। साथ ही, यह भी पाया गया कि बिना पर्याप्त कानू[illegible] संरक्षण (अस्थायी निषेधाज्ञा) प्रदान की गई, जबकि आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया माम[illegible] नहीं था।

राजस्व मण्डल ने यह स्पष्ट कि[illegible] रिकॉर्ड में अस्पष्ट प्रविष्टियों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] नहीं है। भूमि के स्वामित्व एवं प्रकृति (वन भूमि / राजकीय भूमि) का निर्धारण किए बिना अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश टिकाऊ नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

हैं। इन कारणों से राजस्व मण्डल ने यह माना कि निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेशों को अपास्त (निरस्त) किया गया तथा प्रकरण को विधि अनुसार पुनः विचार हेतु अधीनस्थ स्तर पर भेजने/निर्णय करने के निर्देश दिए गए।

पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर गौर किये जाने पर न्यायालय के समक्ष तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या 1710/269, तादादी 12 बीघा 15 बिस्वा, रोही चूरू के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं चिर निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर वाद का विरोध किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख, राजस्व रिकॉर्ड, नामान्तरण प्रविष्टियाँ, विधिक प्रावधान एवं पक्षकारों की बहस पर सम्यक विचार उपरान्त निम्नानुसार विवादकों पर निर्णय पारित किया जाता है।

तनकी संख्या 01

आया वादी खातेदार घोषित किये जाने योग्य है?

निर्णय : अस्वीकृत / खारिज

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग, राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। वादी द्वारा खातेदारी अधिकार के समर्थन में कोई ऐसा सक्षम आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि वादी विधिवत खातेदार है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत वन भूमि / प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही हो सकते। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि पर कब्जा, चाहे कितना भी पुराना हो, खातेदारी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

अतः विवाद्यक संख्या–01 वादी के विरुद्ध निर्णयित किया जाता है।

तनकी संख्या–02

आया वादी चिर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

निर्णय : अस्वीकृत / खारिज

जब मूल अधिकार (खातेदारी) ही सिद्ध नहीं होता, तब संरक्षणात्मक राहत (चिर निषेधाज्ञा) प्रदान नहीं की जा सकती। अतिक्रमी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी करना स्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, विशेषतः तब, जब भूमि धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रेणी (वन भूमि) में आती हो।

अतः विवाद्यक संख्या–02 भी वादी के विरुद्ध निर्णयित किया जाता है।

तनकी संख्या –03

आया वादी की स्थिति मात्र अतिक्रमी की है?

निर्णय : स्वीकार

रिकॉर्ड से यह सिद्ध होता है कि वादी के विरुद्ध समय–समय पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हुई है। वादी का कब्जा राजकीय/वन भूमि पर अनधिकृत पाया गया है। साथ ही, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निगरानी संख्या T-A./113/97/चूरू, निर्णय दिनांक 10–12–2002 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में अधीनस्थ आदेशों में त्रुटि थी एवं अतः विवाद्यक संख्या–03 प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

तनकी संख्या संख्या–04

आया धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना वाद पोषणीय नहीं है?

निर्णय : स्वीकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार एवं वन विभाग जैसे शासकीय निकाय हैं। धारा 80 सी.पी.सी. के अंतर्गत अनिवार्य विधिक नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि अभिलेखों से ऐसा कोई वैध अपवाद सिद्ध नहीं होता। अतः वाद धारा 80 सी.पी.सी. के उल्लंघन के कारण भी पोषणीय नहीं है और इस आधार पर भी अस्वीकृत किया जाता है।

अतः विवाद्यक संख्या 04 प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादी के खिलाफ व विवाद्यक संख्या 03 व 04 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

निर्णय

वादग्रस्त भूमि खेत खसरा 269 रोही कस्बा चूरू धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रेणी (वन भूमि) में आती है। वन भूमि पर कब्जा खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं करता व अतिक्रमण को संरक्षण देना कानून के विरूद्ध है। प्रतिबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार की खातेदारी घोषणा शुन्य होती है। अतः वादी खातेदारी अधिकार सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतिक्रमी को न तो खातेदारी अधिकार दिया जा सकता है और न ही चिर निषेधाज्ञा। वाद धारा 80 सी. पी.सी. के उल्लंघन से भी ग्रस्त है। अतः वादी का वाद पूर्णतः अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकाराना अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2020/19 दर्ज दिनांक : 12.02.2020

1. गिरधारीलाल पुत्र स्व. बृजलाल जाति माली निवासी चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू।
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग चूरू–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:– अभिषेक टावरी
प्रतिवादी :– बजरंगलाल शर्मा प्रतिवादी संख्या 01
पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 02

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested